राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2222403, 2222805, बेवसाईट : www.cmar-india.org, ई–मेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/19/बाढ़ बचाव/26913-27105 दिनांकः 4.06.19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : नगरीय निकायों के स्तर पर मानसून पूर्व तैयारियॉ एवं बाढ बचाव संबंधी व्यवस्थायें करने बाबत।

दक्षिण–पश्चिम मानसून वर्ष 2019 के राज्य में शीघ्र ही सक्रिय होने की सम्भावना है। अतः राज्य में अतिवृष्टि या बाढ़ की सम्भावना को देखते हुये, गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मानसून की वर्षा के दौरान बाढ से बचाव हेतु सभी शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर जन–धन को सम्भावित हानि से बचाने हेतु निम्नांकित प्रबंध तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित किये जावें :–

01. शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्थित समस्त नालों–नालियों में से मानसून से पूर्व/दौरान मलबा व कींचड़ की सफाई करने के पश्चात् तुरन्त उनको ढ़कने की कार्यवाही की जावे। नाले/नालियों का सफाई कार्य तथा उन्हें सुरक्षित रूप से ढकने की व्यवस्था दिनांक 20 जून, 2019 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। सीवरेज मेनहोल एवं नालियों पर कार्य हो रहा हो, तो वहॉ पर चेतावनी के बोर्ड लगवाये जावे। सीवरेज लाईन के मैनहॉल्स की सफाई करने के पश्चात् मैनहॉल्स को तुरन्त ढ़कने हेतु कार्यवाही की जावे। सड़क पर बने हुए नाला–नालियों के क्रासिंग व खुले स्थानों को फेरोकवर से तुरन्त ढ़का जावे।

02. यह भी सुनिश्चित करें कि अतिक्रमण के कारण नाले/नालियों का प्रवाह अवरूद्ध नहीं हो। यदि बरसाती नाले/नालियों व पानी के बहाव में कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो गरीब परिवारों व प्रभावित आबादी को वैकल्पिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाते हुये अतिक्रमणों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

03. नगर पालिका क्षेत्र में निर्मित नालियों व नालों की सफाई का ध्यान रखा जावे, ताकि वर्षा के मौसम में पानी का बहाव सुचारू रहें तथा किसी प्रकार पानी की रूकावट (Water Logging) ना हो सके। पानी की रूकावट के कारण बाढ़ की स्थिति ना बनें, इस हेतु पहले से ही पानी की निकासी की पहचान कर बरसात का पानी निकलने की व्यवस्था अभी से ही कर ली जावें।

04. रोड कट्स/टूटी हुई सडकों की मरम्मत का कार्य 30 जून, 2019 से पूर्व करवा लिया जावे। 30 जून, से 15 सितम्बर, 2019 की अवधि में रोड़ कट की अनुमति नहीं दी जावे। विशेष परिस्थितियों जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से निर्णय उपरान्त ही अनुमत किया जावे एवं 24 घंटे में मरम्मत सुनिश्चितकी जावे। बरसात के कारण या पानी के बहाव के कारण नालियॉ व सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उनकी तुरन्त मरम्मत करवाई जावें।

05. प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर 20 जून, 2018 से 24 घन्टे के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। नियंत्रण कक्ष द्वारा अन्य विभागों जैसे– जिला प्रशासन,

Scanned by CamScanner

नागरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, राज्य आपदा प्रबन्धन सैल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण कम्पनियॉ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, होम गार्ड्स, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट आदि से समन्वय रखा जावेगा।

06. बाढ़/अतिवृष्टि से बचाव हेतु जनप्रतिनिधियों व स्वयं सेवी संस्थायें/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आम जन में जागरूकता बढाने के लिये समाचार–पत्रों, संचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जावे।

07. सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा मानसून से पूर्व नालों तथा पानी भरने के संभावित स्थानों का निरीक्षण किया जावे।

08. बाढ प्रभावित जोनों का निर्धारण कर मानचित्रों में अंकित किया जाकर एक्शन प्लान (कार्य योजना) बनाया जावे एवं सुरक्षा संबंधी सभी उपाय पूर्व में ही कर लिये जावें।

09. किसी क्षेत्र विशेष में बाढ आने के कारणों को चिन्हित किया जावे तथा इससे बचाव के लिए समुचित कार्यवाही की जावे।

10. बाढ़ से बचाव व किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस थानों पर आवश्यकतानुसार सामग्री यथा – रेत/मिट्टी के भरे हुये व खाली कट्टे, रोडी, बजरी, खान का मलबा, त्रिपाल, बांस, बल्ली, ट्रेक्टर–ट्राली, डम्पर, जे.सी.बी., मड़ पम्प/वाटर पम्प, गैस कटर, पिकअप/जीप, पी.वी.सी. पाईप्स, नाव, नाविक, तैराक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, ट्यूब, नाइलोन रस्से, टॉर्च, इमरजेंसी लाईट, सब्बल, फावडे, परात, गेंती, आदि एवं बाढ़ बचाव दल की व्यवस्था की जावे।

11. बरसात के दिनों में इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार वाटर पम्पों व पाईप्स की व्यवस्था की जावे।

12. बरसात के बाद शहर के सार्वजनिक स्थलों, निचले इलाकों (Low Lying Area) व नालों में इकट्ठे/जमा कचरे/मलबे, कीचड़/गंदगी व भरे हुये पानी को अविलम्ब हटाया जावे।

13. विद्युत डिस्कॉम कम्पनियों के अभियन्ताओं के साथ मिलकर सड़क किनारे बिजली के ढीले तारों को दुरूस्त करने एवं बिजली के खम्बों, सड़क किनारे डी.पी., केबल बॉक्स व स्वीच बॉक्स के आस–पास लूज तारों को हटाया जावे। स्वीच बॉक्स के टूटे हुये ढ़क्कनों को तुरन्त मरम्मत करवाई जावे।

14. असुरक्षित/जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाकर भवनों मालिकों को नोटिस/सार्वजनिक सूचना जारी करते हुये उनको खाली कराने की कार्यवाही की जावे। ऐसे मकानों के वासियों को चेतावनी देते हुये उनके सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जावे, ताकि जन–धन की हानि नहीं हो।

15. आकस्मिक अग्नि कांड हेतु अग्निशमन वाहन तथा करन्ट से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने हेतु अन्य आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ को तैयार रखा जावे।

16. नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित पुराने अनुपयोगी खुले कुओं को लोहे की जाली/ फेंसिंग आदि से ढ़का जावे। ऐसे अनुपयोगी कुओं को वर्षा जल के पुनर्भरण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम में लिया जा सकता है।

17. बाढ़ को कम करने के लिये भवनों में आंतरिक घटक की उपयोगिता बढाते हुये राजकीय/सामुदायिक भवनों में 'वर्षा जल पुनर्भरण संरचना' (Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान या अन्य योजना/कार्य

Scanned by CamScanner

के अंतर्गत करवाया गया है। मानसून से पूर्व उक्त निर्मित RTWHS की मरम्मत व साफ–सफाई करवा ली जावे।

18. अतिवृष्टि के पानी का सदुपयोग करने के लिये नगर निकाय अपने स्तर पर शहर में खुले मैदानों, सड़क किनारे व पार्को में 'वर्षा जल पुनर्भरण संरचना' (Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण करवा सकती है।

19. सड़कों के किनारे स्थित बड़े गड्डों को मिट्टी से भराया जावे तथा सड़क के किनारे कटाव को रोकने के लिये मिट्टी के कट्टे लगाये जावे।

20. बरसात के पानी के भराव स्थलों के आस–पास सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिये वहॉ चेतावनी बोर्ड लगाये जावें।

21. कच्ची बस्तियों तथा बाढ के सम्भावित क्षेत्रों के आस–पास के सार्वजनिक भवनों, धर्मशाला, स्कूलों तथा ऊंचे स्थानों जहॉ अस्थाई रूप से ठहरने की व्यवस्था की जा सकती हो, चिन्हित किया जावे तथा ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिये अस्थाई केम्प की आवश्यक तैयारी रखें।

22. असुरक्षित भवनों को चिन्हित किया जाकर उनके निवासियों को चेतावनी देते हुए सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु समुचित व्यवस्था रखी जावे।

23. अतिवृष्टि के कारण बरसात के मौसम में जान–माल का नुकसान होने से जानवरों, पक्षियों की मृत्यु हो जाती है तथा उनके शव दुर्गन्ध मारने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें तुरन्त हटाया जावें, ताकि संक्रामक रोग नहीं फेले व स्थिति भयावह न बनें।

24. पेड़, भवन, बिजली के खम्बे व मोबाईल टावर आदि बरसात के कारण गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी होती है और मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं, ऐसे अवरोधों को तुरन्त हटाये जाने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्था की जावें।

25. वर्षा के बाद फैलने वाली संभावित बीमारियों (मलेरिया, ढेगूं, चिकगुनियां आदि) पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कीटनाशक/लार्वानाशक दवाईयों का छिडकाव किया जावे।

26. वर्षाकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ़ के समय आवश्यकतानुसार मोबाईल चिकित्सा दल के गठन की व्यवस्था की जावे। बाढ़ के दौरान तथा उसके उपरान्त फेलने वाली बीमारियों जैसे – हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बीमारियां, फूड़ पॉइजनिंग आदि के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध रखी जावे। दूषित जल से बचाव व क्लोरीन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जावे।

27. कटे हुए फलों एवं सब्जियों को खुले रूप में बेचने पर प्रतिबन्ध लगाया जावे।

28. बाढ व अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को बाढ़ से बचाव हेतु राहत कार्यो के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं व उपयोगी व्यक्तियों से पूर्व में ही सम्पर्क कर सहायता की आवश्यकता होने पर इनसे सहयोग प्राप्त करें।

29. सफाई कार्य में लगे हुए ठेकेदारों का नाम, दूरभाष नम्बर एवं पता क्षेत्र में सहज दृश्य स्थलों पर आम जन की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जावे।

30. तैराकों व नाविकों की सूची तथा उनके सम्पर्क हेतु टेलीफोन/मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूची तैयार रखें।

31. नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नम्बर तथा कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम को प्रचारित किया जावे तथा निदेशालय को भी सूचना देवे।

Scanned by CamScanner

32. सभी जिलो में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का टॉल फ्री नम्बर 1077 चालू रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष पर सम्पर्क किया जावे।

33. बाढ नियंत्रण कक्षों में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी हो, वे अपने रिलीवर आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे। बाढ़ नियंत्रण में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का इन्द्राज रजिस्टर में दर्ज कर उपयुक्त कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित की जावे।

34. बाढ़ संहिता की प्रति आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों तथा जिला कलेक्टरों को भिजवाई गई है। बाढ़ संहिता आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाईट "dmrelief.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उक्तानुसार कार्य योजना बनाकर अनुपालना रिपोर्ट उप निदेशक (क्षेत्रीय) के माध्यम से विभाग एवं सम्बन्धित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/19/बाढ़ बचाव/27106-370 दिनांक :04/06/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
07. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
08. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान जयपुर।
09. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर।
16. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
17. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
18. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
19. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर।
20. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर।
21. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशनार्थ।
22. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
23. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner